

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति

अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपति से यह उम्मीद की जाती है:

- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता संपन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जायेगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद होना चाहिए।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद पर 2,10,000/- रुपए (निश्चित) प्रतिमाह के साथ 11,250/- रुपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, एवं सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई हैं।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- यह नियुक्ति नागालैण्ड विश्वविद्यालय, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- यह विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट <http://www.education.gov.in> और <https://nagalanduniversity.ac.in> पर उपलब्ध है।
- निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री/ स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर पहुंचने चाहिए:

अवर सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय - IV डेस्क)
उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय,
कमरा संख्या 216-D, 'D' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110115

“लिफाफे पर ‘कुलपति के पद हेतु आवेदन - नागालैण्ड विश्वविद्यालय”, ऊपरलिखित होना चाहिए।

यह विभाग, डाक विलंब हेतु जिम्मेदार नहीं।
